

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुडगांव।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

क्रमांक:- आई0आर0-2/2016/ 40727-883

दिनांक: 21/07/16

विषय: न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा दिनांक 01-07-2016 से बढ़ोतरी बारे पत्र।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.10.2015 द्वारा भिन्न - भिन्न रोजगारों में दिनांक 01.07.2016 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किये गये हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं। इन आंकड़ों में हुई बढत / घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात (जनवरी से जून) न्यूनतम वेतन में बढत / घटत होती रहती है।

अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जनवरी, 2016 से जून, 2016 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत/बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है:-

जनवरी, 2016	1047 (2262)
फरवरी, 2016	1040 (2246)
मार्च, 2016	1041 (2249)
अप्रैल, 2016	1052 (2272)
मई, 2016	1065 (2300)
जून, 2016	1073 (2318)
औसत	1053 (2275)

दिसम्बर, 2015 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य सूचकांक 2247 था। अब मास जून, 2016 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 2275 हो गया है। इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 28 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 जो कि प्रथम नवम्बर, 2015 से लागू है, के अनुसार मंहगाई के आकड़ों के तटस्थीकरण की दर 100 प्रतिशत निश्चित है। तदानुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के अनुसार दिनांक 01-07-2016 से विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की मासिक और दैनिक वेतन में मंहगाई भत्ते में 1.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तदानुसार अकुशल श्रमिक के मूल वेतन पर मंहगाई भत्ता रूपये 94.24 तथा इसी प्रतिशत अथवा अनुपात अनुसार अन्य श्रेणियों में बढ़ोतरी हुई है। अब दिनांक 01-07-2016 से श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों में हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें निम्न अनुसार देय बनती हैं:-

Shalini

क्रम संख्या	श्रेणी	पद/योग्यता	मूल वेतन (रु०) (क)	मंहगाई भत्ता 01.01.2016 से लागू (रु०) (ख)	मंहगाई भत्ता 01.07.2016 से लागू (रु०) (ग)	कुल वेतन (रु०) (क+ख+ग)	दैनिक वेतन (रु०)
1.	अकुशल		7600.00	376.20	94.24	8070.44	310.40
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)		7980.00 8379.00	395.01 414.76	98.95 103.89	8473.96 8897.65	325.92 342.21
3.	कुशल (ए) (बी)		8797.95 9237.85	435.49 457.27	109.09 114.54	9342.53 9809.66	359.32 377.29
4.	उच्च कुशल		9699.74	480.13	120.27	10300.14	396.15
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम (ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं (iii) स्नातक या उपर (iv) स्टेनो टाईपिस्ट (v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (vii) निजी सहायक (viii) निजी सचिव	7980.00 8379.00 8797.95 8379.00 8797.95 9237.85 9699.74 10184.73	395.01 414.76 435.49 414.76 435.49 457.27 480.13 504.14	98.95 103.89 109.09 103.89 109.09 114.54 120.27 126.29	8473.96 8897.65 9342.53 8897.65 9342.53 9809.66 10300.14 10815.16	325.92 342.21 359.32 342.21 359.32 377.29 396.15 415.96
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		8797.95	435.49	109.09	9342.53	359.32
7.	चालक	हल्का वाहन भारी वाहन	9237.85 9699.74	457.27 480.13	114.54 120.27	9809.66 10300.14	377.29 396.15
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना वाहन शस्त्र सहित	7980.00 9237.85	395.01 457.27	98.95 114.54	8473.96 9809.66	325.92 377.29
9.	सुरक्षा निरीक्षक/सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा सुपरवाइजर		9699.74	480.13	120.27	10300.14	396.15
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में		8100.00	400.95	100.44	8601.39	330.82

उपरोक्त के अतिरिक्त ईट भट्टा उद्योग के रेटस में बढौतरी निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	459.83 रुपये	517.32 रुपये
2.	भराई वाला(भट्टे में ईटों की भराई)	(क) 206.92 रुपये प्रति हजार ईट भट्टे में भरना परन्तु खेत से भट्टे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 18.38 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर या पशुचलित रेहड़ी भरने वालों पर ही लागू होंगी। (ख) एक हजार मीटर दूरी तक 170.13 रुपये टैम्पू या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईट भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 18.38 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	36.77 रुपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	151.74 रुपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चुनाई वाला	9342.53 रुपये प्रति मास	

Adhik

6	मिस्त्री/कोलमैन/जलाई वाला	9342.53 रुपये प्रति मास
---	------------------------------	-------------------------

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने - 2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवाये तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।

(Handwritten Signature)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक:-आई0आर0-2/2016/

दिनांक:-

इसकी एक - एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा को सूचनार्थ
2. निजी सचिव, माननीय श्रम मंत्री, हरियाणा को सूचनार्थ
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग को सूचनार्थ
4. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, हरियाणा
5. श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
6. निदेशक सूचना, लोक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
7. निदेशक, विकास पंचायत, विभाग, प्लॉट नं 3/28-ए हरियाणा, चण्डीगढ़।
8. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
10. निदेशक, शहरी विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़।
11. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
12. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
13. प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा डेयरी विकास निगम, पंचकूला।
14. प्रबन्धक निदेशक, हैफेड हरियाणा, पंचकूला।
15. आयुक्त, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।
16. रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, हरियाणा, पंचकूला।
17. सभी जिला उप आयुक्त, हरियाणा राज्य।
18. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य), हरियाणा, चण्डीगढ़।
19. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग), हरियाणा, चण्डीगढ़।
20. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला।
21. मुख्य वनपाल, हरियाणा पंचकूला।
22. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा पंचकूला।
23. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पंचकूला।
24. सभी अधिकारी, मुख्यालय।
25. आई0टी0 सैल, मुख्यालय।

(Handwritten Signature)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।